कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

सूचना अधिकार (परीक्षा) से सम्बन्धित नियमावली–2015
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

सूचना अधिकार से सम्बन्धित मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 27–06–2015 में लिये गये निर्णय एवं कार्य परिषद की बैठक की संस्तुति दिनांक 11–07–2015 में निम्नलिखित निर्णयों की स्वीकृति प्रदान की गई –

1. परीक्षार्थी सूचना अधिकार में परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। तदुपरान्त उत्तर पुस्तिका का 90 दिन के पश्चात विनिष्टकरण कर दिया जायेगा।
2. सूचना अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों में यदि अंकों की गणना में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक किया जायेगा।
3. सूचना अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी उत्तर पुस्तिका के किसी प्रश्न को सम्पूर्ण रूप से सही होने की दशा में यदि परीक्षक के द्वारा उस प्रश्न पर शून्य अंक दिया गया है तो विश्वविद्यालय विषय–विशेषज्ञ की राय पर उस प्रश्न का मूल्यांकन करा सकता है। लेकिन किसी भी दशा में आवेदक के द्वारा उत्तर में दिये गये अंकों को कम अथवा ज्यादा आधार बनाकर मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। यदि विषय विशेषज्ञ के परीनिरीक्षण (Scrutiny) के पश्चात परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो परीक्षार्थी पर जुर्माना लगाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।

उक्त नियम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 11–07–2015 द्वारा अनुमोदित कर परिचंलानार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

Rajnish Pandey

दिनांक – 24–08–2015

परीक्षा नियंत्रक
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित –

1. निदेशक, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल / एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (कुमाऊँ विश्वविद्यालय)।
3. निदेशक / प्राचार्य, समस्त संस्थान (कुमाऊँ विश्वविद्यालय)।
4. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. समस्त अनुभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।

Rajnish Pandey

परीक्षा नियंत्रक
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल